

// 1 // दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-512/15

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

आपराधिक प्रकरण क्र. 512/15

संस्थित दिनांक—30.02.2015

Filling no 235103003432015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1- हनुमंत लोधी पुत्र स्व रघुवर लोधी उम्र 28 साल
निवासी - ग्राम हसारी तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....आरोपी

: : नि र्ण य : :

(आज दिनांक 13.07.2017 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 456, 354, 506 भाग दो भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 13.12.2015 को रात करीब 1:30 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम हसारी में फरियादिया काशीबाई का घर जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है में प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार किया एवं फरियादिया काशीबाई जो कि एक स्त्री है, उसके सीने पर बुरी नियत से हाथ फेरकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा फरियादिया काशीबाई को संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादिया एवं अभियुक्त के मध्य दिनांक **13.07.2017** को राजीनामा हो जाने से आरोपी हनुमंत को भा.द.वि की धारा 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादीया काशीबाई ने अपनी भाभी सविता के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनांक 12.12.2015 की रात को फरियादिया खाना खा कर अपने कमरे में सो रही थी, बाहर गाय भैंस एवं पडिया बंधी रहती है इसलिये उसके भैया भाभी बाहर सो रहे थे, दरवाजे में बेडा नहीं लगा था। रात करीब 1:30 बजे की बात है उसके गाँव का हनुमंत लोधी उसके कमरे में घुस आया और बुरी नियत से उसके सीने पर हाथ फेरने लगा

और उसके कपड़े खींचने लगा, वह चिल्लाई तो उसकी भाभी सविताबाई जाग गई भाभी भी चिल्लाने लगी तब उसके भैया काशीराम भी जाग गए तब हनुमंत लोधी उसे छोड़कर भाग गया, जाते समय कह रहा था कि उसके खिलाफ रिपोर्ट मत करना न ही गाँव में किसी को बताना, रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। घटना दिनांक को उसके भैया भाभी अपनी बच्ची का इलाज कराने बामोर कला गए थे, इसलिये घटना रिपोर्ट अगले दिन की। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य एवं परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त ने बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न हैं कि:—

1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.12.2015 को रात करीब 1:30 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम हसारी में फरियादिया काशीबाई का घर जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह-अतिचार किया ?
2.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादिया काशीबाई जो कि एक स्त्री है, उसके सीने पर बुरी नियत से हाथ फेरकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— विचारणीय प्रश्न क्र० 1 व 2 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। काशीबाई अ०सा००१ ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी हनुमंत को जानती है, वह उसके गाँव का है। घटना करीब 2 साल पहले आरोपी ने उससे गाली गलौच कर दी थी, वह चिल्लाई तो उसकी नन्द सविता बाई मौके पर आ गई थी तब आरोपी हमें जान से मारने की धमकी देकर घटना स्थल से भाग गया था। उक्त घटना शाम के समय की होकर उसके घर के बाहर की है। इसके अलावा और कोई घटना आरोपी द्वारा उसके साथ कारित नहीं की गई थी। साक्षी ने उसकी भाभी के साथ थाने जाकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी.१ है, इसके बाद मैं अपने घर चली गई थी। पुलिस मौके पर आई थी या नहीं मुझे याद नहीं है। पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछा था।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी काशीबाई अ0सा01 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी रात को करीब ढेड बजे उसके कमरे में घुस आया था। इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने कमरे में घुसकर बुरी नियत से उसकी छाती दबाई थी। इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने चिल्लाने पर उसका मुंह दबा दिया था। इस बात से इंकार किया कि उक्त घटना उसकी भाभी ने देखी थी। स्वतः कहा काशीराम और सविताबाई घर पर दूसरे कमरे में सो रहे थे आवाज सुनकर घर के बाहर आए थे। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 और पुलिस कथन प्र.पी. 2 का ए से ए भाग (तात्त्विक भाग) पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसा कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह असत्य कथन कर रही हैं।

08— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सविताबाई अ0सा02, काशीराम अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानते हैं घटना करीब 2 साल पहले की है। आरोपी ने काशीबाई के साथ गाली गलौच कर दी थी और हमें जान से मारने की धमकी दी थी, इसके अलावा आरोपी काशीबाई के साथ कोई घटना कारित नहीं की। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से इंकार किया कि आरोपी हनुमंत रात करीब ढेड बजे काशीबाई के कमरे में घुस आया था और बुरी नियत से काशीबाई की छाती दबाई थी। साक्षी सविता अ0सा02 एवं काशीराम अ0सा03 ने इस बात से इंकार किया कि वे चिल्लाने की आवाज सुनकर जब घटना स्थल पर गये थे तो आरोपी काशीबाई को कमरे से भागता हुआ निकला था तथा इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी के जाने के बाद काशीबाई को कमरे में जाकर देखा तो काशीबाई के कपड़े अस्त व्यस्त थे। सविता अ0सा02 एवं काशीराम अ0सा03 ने इस बात से भी इंकार किया कि काशीबाई ने उसे बताया था कि आरोपी ने उसके कमरे में घुसकर काशीबाई की छाती दबाई थी और कपड़े खींचे थे। साक्षी सविता अ0सा02 तथा काशीराम अ0सा03 ने उनके मुख्य परीक्षण में बताया कि आरोपी के साथ गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने वाली घटना हुई थी, इसके अलावा आरोपी ने और कोई घटना काशीबाई के साथ नहीं की थी। साक्षी सविता एवं काशीराम को उसका पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी. 3 एवं 4 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षीगण ने उक्त कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया।

09— जहां कि काशीबाई अ0सा01 जोकि प्रकरण में स्वयं पीडित है एवं सविता एवं काशीराम जोकि फरियादिया काशीबाई की भाभी एवं भाई हैं ने भी अभियोजन की घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उनके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि घटना दिनांक को आरोपी ने काशीबाई के साथ गाली गलौच कर दी थी और हमें जान से मारने की धमकी दी थी। इस बात से इंकार किया कि आरोपी हनुमंत उनके घर में घुस आया था एवं इस बात से भी इंकार किया कि घटना

दिनांक को फरियादिया काशीबाई का आरोपी हनुमंत द्वारा बुरी नियत से छाती दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया था।

10— इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्षीगण ने इंकार किया कि आरोपी हनुमंत उनके घर में घुस आया था और आरोपी हनुमंत द्वारा काशीबाई का बुरी नियत से छाती दबाकर उसपर आपराधिक बल का प्रयोग किया था। उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपी को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक दिनांक 13.12.2015 को रात करीब 1:30 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम हसारी में फरियादिया काशीबाई का घर जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है में प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार किया तथा फरियादिया काशीबाई जो कि एक स्त्री है, उसके सीने पर बुरी नियत से हाथ फेरकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्त **हनुमंत पुत्र स्व रघुवर लोधी उम्र 28 साल निवासी— ग्राम हसारी थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0** को भा.द.वि. की धारा 456, 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

12— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

13— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0